देश के लिए... अव्यवस्था के खिलाफ...

जवाब दो!!! सरकार
www.jawabdosarkar.com
देश का पहला जवाबदेही पोर्टल

JAWAB DO SARKAR

www.jawabdosarkar.com

रेफरेंस संख्या –2020/twb/05 | E-Newsletter, Issued in Public Interest | शुक्रवार, 2 अक्तूबर 2020

उद्योग विभाग ने बिल्ली को सौप रखा है दूध की रखवाली का काम

उद्योग विभाग द्वारा संचालित उद्यम प्रोत्साहन संस्थान के जिम्मेदार अधिकारी नहीं देते अपने उच्चाधिकारियों और जनता को जवाब और हिसाब

उद्योग विभाग द्वारा संचालित उद्यम प्रोत्साहन संस्थान से जुड़ा है मामला

उद्यम प्रोत्साहन संस्थान की स्थापना 1995 में की गयी थी,इसकी कार्यकारिणी में उद्योग विभाग के कई जिम्मेदार अधिकारी होते है जैसे आयुक्त,उद्योग अध्यक्ष तथा अतिरिक्त निदेशक,उद्योग इसमें प्रबंध निदेशक होते है साथ ही दो अधिशाषी निदेशक होते है जो संयुक्त निदेशक स्तर के होते है|उद्यम प्रोत्साहन संस्थान(उद्योग विभाग राजस्थान सरकार के अधीन) को राष्ट्रीय एवं अंतराष्ट्रीय मेलों के आयोजनों एवं ग्रामीण/शहरी हाटों के रखरखाव हेतु आयोजना अनुभाग,वित्त विभाग द्वारा सालाना बजट राशि प्रदान की जाती है|

बरसो से इस संस्था में हो रहे जम कर घोटाले,भ्रष्ट अधिकारी ना तो अधिकारियों को हिसाब देते है और ना ही आम जनता को

प्राप्त जानकारी के अनुसार ज्ञात हुआ कि वर्ष 2008-09 से 2017-18 तक राष्ट्रीय एवं अंतराष्ट्रीय मेलों के आयोजनों हेतु उद्यम प्रोत्साहन संस्थान को 6.40 करोड़ रूपये एवं 2009-10 से वर्ष 2016-17 तक जयपुर हाट के संधारण हेतु 1.40 करोड़ की राशि हस्तांतरित की गयी है|परन्तु अतिरिक्त निदेशक उद्योग एवं प्रभारी,सीआरडी प्रकोष्ठ के पत्रांक दिनांक 26/04/2019 से खुलासा हुआ कि संस्थान में वर्षों से जमे अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा उक्त बजट का भयंकर दुरूपयोग कर, अनेकों वित्तीय अनियमिताओं,घोटालों और अन्य भ्रष्ट गतिविधियों को अंजाम दिया गया है|अपने पत्रांक दिनांक 26/04/2019 के जरिये अतिरिक्त निदेशक उद्योग एवं प्रभारी,सीआरडी प्रकोष्ठ द्वारा खुलासा किया गया कि:-

- संस्थान द्वारा जयपुर हाट के संधारण में केवल चौकीदारी के मद में ही 20 से 30 लाख रूपये प्रतिवर्ष का भुगतान किया गया है|
- महालेखाकार की अन्केंक्षण रिपोर्ट दिनांक 20/03/2019 के अनुसार मैसर्स Lyaka Events को GF&AR के विरुद्ध जाकर लगभग 14 लाख रूपये का अग्रिम भुगतान किया गया|
- साथ ही प्रबंध निदेशक,उद्यम प्रोत्साहन संस्थान को 11 बिन्दुओं की व्यापक सूचनाएं एक सप्ताह में प्रेक्षित करने को कहा और संस्थान की एजी/वित्त विभाग के माध्यम से विशेष लेखा जांच करवाने के भी निर्देश दिए|

*भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रकाशन एवं समस्त प्रकाशन IT Act 2000 के तहत उत्तरदायी सर्वाधिकार@www.jawabdosarkar.com

(345)

राजस्थान सरकार
कार्यालय आयुक्त उद्योग एवं
शासन सचिव, कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर)
उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर–302005

क्रमांक एफ.25(185)आउ/आयो/सुझाव एवं वार्ता/2017–18 दिनांक 26 अप्रेल,2019

प्रबंध निदेशक,
उद्यम प्रोत्साहन संस्थान,
उद्योग भवन, जयपुर

विषय : राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय मेलों तथा हाट संचालन गतिविधियों का मूल्यांकन।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि इस कार्यालय का आयोजना अनुभाग राज्य सरकार के आयोजना एवं वित्त विभाग से समन्वय स्थापित कर विभाग की विभिन्न योजनाओं हेतु बजट राशि प्रदान कराता है। आयोजना अनुभाग का कार्य यह भी है कि जिन योजनाओं के अंतर्गत बजट राशि उपलब्ध कराई जाती है, उसकी उपयोगिता को सुनिश्चित करते हुए बजट राशि सही प्रकार से खर्च हो रही है, इस पर भी निगाह रखें। आयुक्त, उद्योग के आदेश क्रमांक एफ.1(523)/आ.उ./पीएडी अनु/का. आ/2018–III दिनांक 22.03.2019 द्वारा CRD प्रकोष्ठ को एक कार्य यह भी दिया गया है कि विभाग द्वारा संचालित की जा रही योजनाओं में समय के साथ आने वाली कमियों का निवारण किया जाए तथा नवाचारों को लागू कराया जाए। विषयगत योजनाओं में कुछ बातें ध्यान में आई हैं तथा कुछ सुझाव भी हैं।

उद्यम प्रोत्साहन संस्थान को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मेलों के आयोजन एवं ग्रामीण/शहरी हाटों के रखरखाव हेतु सहायता राशि दी जाती रही है। मेलों के आयोजन हेतु दी जाने वाली राशि का सामान्यतया संपूर्ण उपयोग संस्थान के मुख्यालय द्वारा किया जाता है जबकि हाटों के संधारण हेतु आवंटित राशि का मुख्य अंश भी संस्थान के मुख्यालय के माध्यम से जयपुर हाट के लिए ही खर्च होता है। वर्ष 2008–09 से 2017–18 तक राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय मेलों के आयोजन हेतु यूपीएस को 6.40 करोड रू. की राशि हस्तान्तरित की गई है। इस दी गई राशि के विरूद्ध मार्केटिंग अनुभाग की सूचना के अनुसार वर्ष 2017–18 का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त होना शेष है। इसी प्रकार जयपुर हाट के संधारण हेतु वर्ष 2009–10 से वर्ष 2016–17 तक संस्थान को 1.40 करोड रू. की राशि हस्तान्तरित की गई है। संस्थान को उक्त दोनों स्त्रोतों के अतिरिक्त कुछ फण्डस् पार्किंग के लिए प्राप्त होते हैं जिनका विवरण आयोजना अनुभाग में नहीं है। इस संबंध में आप निम्न सूचना/टिप्पणी प्रस्तुत करें–

1. वर्ष 2018–19 में मेले एवं प्रदर्शनी के लिए 115.00 लाख रू. की बजट राशि आवंटित कराई गई थी परंतु उक्त राशि का उपयोग मेले/प्रदर्शनियों के लिए नहीं हो पाया क्योंकि संस्थान ने वर्ष 2016–17 एवं 2017–18 में दी गई राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र समय पर प्रस्तुत नहीं किया। वर्ष 2016–17 की राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र माह मार्च, 2019 में प्राप्त हुआ जबकि वर्ष 2017–18 में दी गई राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र अभी तक

संस्थान से मांगी गयी 11 बिन्दुओं की सूचनाएं,जिनके जवाब आज दिन तक नहीं दिए गए

राजस्थान सरकार
कार्यालय आयुक्त उद्योग एवं
शासन सचिव, कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर)
उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर–302005

भी बकाया है। ऐसी स्थिति में वर्ष 2019–20 में मेले/प्रदर्शनियों के लिए राशि आवंटित कराने हेतु आयोजना विभाग को क्या कहा जाना है एवं किस आधार पर राशि आवंटित कराई जानी है। इससे यह भी प्रतीत होता है कि संस्थान के आय व्यय का लेखाजोखा सही रूप में संधारित नहीं है।

2. जयपुर हाट के संधारण हेतु वर्ष 2009–10 से वर्ष 2016–17 तक 1.40 करोड रू की राशि दी गई है। जिसका उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त हो गया है परन्तु आयुक्त, उद्योग को किसी संदर्भ में यह सूचना दी गई है कि वर्ष 2007 से अब तक हाट के संधारण पर 1 करोड 14 लाख रू. की राशि खर्च हुई है। संस्थान के अधिकारियों द्वारा आयुक्त उद्योग को गलत सूचना दी गई। संधारण पर निश्चित रूप से 1.40 करोड रू. से अधिक राशि संस्थान के द्वारा खर्च की गई है, क्योंकि केवल चौकीदारी पर ही लगभग 20 से 30 लाख रू. प्रतिवर्ष का भुगतान संस्थान के द्वारा किया जाता है। ऐसी स्थिति में पिछले 10 वर्षों में लगभग 2 से 3 करोड रू. तो इसी मद पर खर्च किए गये होंगे। बिजली, पानी एवं अन्य व्यय अलग से हैं। कृपया यह बताएं कि शेष राशि किस स्त्रोत से संस्थान को प्राप्त हुई क्योंकि संस्थान की स्वयं की कोई आय तो है नहीं। आशा है, मेलों एवं प्रदर्शनी एवं पार्किंग फण्ड में से हाट संधारण पर व्यय नहीं किया गया होगा। वित्तीय अनुशासन की दृष्टि से ऐसा किया भी नहीं जा सकता।

3. वर्ष 2017–18 एवं 2018–19 में जयपुर हाट के संधारण हेतु क्रमशः 6.75 एवं 6.65 लाख रू. की राशि का प्रावधान बजट में किया गया था जिसकी सूचना आपको समय समय पर दी गई। साथ ही यह भी कहा गया कि उक्त राशि का उपयोग अन्य जिलों की भांति FVC बिलों के आधार पर किया जाए किन्तु आपके द्वारा राशि का उपयोग नहीं किया गया, क्यों ? उक्त राशि का व्यय नहीं किए जाने से वर्ष 2019–20 के लिए हाट संधारण मद में बजट आवंटन कराने में कठिनाई आ सकती है।

4. किस विभाग/एजेन्सी का फण्ड आपके यहां कब से पार्क है एवं उस पर कितना ब्याज अर्जित किया गया है, विवरण प्रस्तुत करें।

5. आयुक्त, उद्योग के अनुमोदन से जारी आदेश दिनांक 04.04.2018 के अनुसार जयपुर हाट को जिला उद्योग केन्द्र, जयपुर (शहर) को हस्तान्तरित किया जाना था परन्तु आज तक हाट का हस्तान्तरण जिला उद्योग केन्द्र को क्यों नहीं किया गया जबकि जिला उद्योग केन्द्र, जयपुर (शहर) ने इस बाबत आपको बार बार निवेदन भी किया है।

6. महालेखाकार की अंकेक्षण रिपोर्ट दिनांक 20.3.2019 के अनुसार–मैसर्स Lyaka Events को GF&AR के विरूद्ध जाकर लगभग 14 लाख रू. का अग्रिम भुगतान किया गया था उक्त राशि की वसूली अब तक नहीं की गई है तथा 76 लाख रू. के उपयोगिता प्रमाण पत्र भी बकाया है।

(346)

राजस्थान सरकार
कार्यालय आयुक्त उद्योग एवं
शासन सचिव, कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर)
उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर–302005

उपरोक्त को देखते हुए संस्थान की एजी/वित्त विभाग के माध्यम से विशेष लेखा जाँच कराना प्रस्तावित करें।

7. अरबन हाट, जयपुर में अब तक कितने मेले लगाए गये, कितनी–कितनी अवधि के लगाए गये, कितने उद्योगों/आर्टीजन्स ने भाग लिया तथा जनता की सहभागिता कितनी रही।

8. पिछले 11–12 वर्षों में जयपुर हाट self-reliant नहीं हुआ है, भविष्य में इसको एवं अन्य हाटों को self-reliant बनाने की क्या योजना है।

9. चालू वित्तीय वर्ष में देश से बाहर कम से कम एक फेयर में भाग लेने का प्लान प्रस्तुत करें जिसमें राज्य की branding की जा सके। ऐसा करना राज्य सरकार की जन–घोषणा के अनुरूप भी होगा तथा विषयगत योजना की उपादेयता भी सिद्ध होगी।

10. वर्तमान में जो विभागीय अधिकारी एवं कर्मचारी उद्यम प्रोत्साहन संस्थान से जुडे हुए हैं वे कब से, किस–2 रूप में संस्थान से जुडे हुए हैं या इसके लिए कार्य कर रहे हैं।

11. संस्थान की Governing Body की आखिरी बैठक कब हुई थी ?
संस्थान के पिछले 10 वर्षों की रोकड–बही एवं बैंक खातों की प्रतियां उपलब्ध कराएं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि राज्य सरकार द्वारा दी गई राशि सही उपयोग में ली गई है । यह आयुक्त, उद्योग से अनुमोदित है।
वान्छित सूचना एक सप्ताह के अंदर–2 प्रेषित करें।

(पी.के.जैन)
अतिरिक्त निदेशक उद्योग ए
प्रभारी, सीआरडी प्रकोष्ठ

कमांक एफ.25(185)आउ/आयो/सुझाव एवं वार्ता/2017–18 दिनांक 26 अप्रेल 2

प्रतिलिपि – श्री वाई.एन.माथुर, संयुक्त निदेशक, मार्केटिंग अनुभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

कार्यालय आयुक्त उद्योग एवं
शासन सचिव, कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर)
उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर–302 005
दूरभाष 0141–2227734, फैक्स 0141–2227516 E-mail : purseplanind@rajasthan.gov.in

85

कमांकःएफ.25(185)आयु.उ./आयोजना/व्यय सुधार/2018–19 दिनांक 10-05-2

प्रबन्ध निदेशक,
उद्यम प्रोत्साहन योजना,
उद्योग भवन, जयपुर, राजस्थान

विषय – राष्ट्रीय एवं अर्न्तराष्ट्रीय मेलो तथा हाट संचालन गतिविधियो का मूल्याकंन ।

सन्दर्भः– इस कार्यालय के समसख्यंक पत्र दिनांक 26.04.2019 के कम मे ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र द्वारा राष्ट्रीय एवं अर्न्तराष्ट्रीय मेलो तथा हाट संचालन गतिविधियो के संबंध मे सूचना चाही गई थी। जो आज दिनांक तक अप्राप्त है। अतः चाही गई वॉछित सूचना अविलम्ब भिजवाने का श्रम करावे।

भवदीय,

(पी.के.जैन)
अतिरिक्त निदेशक, उद्यो

पंरतु संस्थान द्वारा विभाग को किसी प्रकार का कोई उत्तर नहीं दिया गया है, जिसका स्मरण पत्र भी विभाग द्वारा दिनांक 10/05/2019 को प्रेक्षित किया गया था|

राजस्थान सरकार
कार्यालय आयुक्त उद्योग एवं
शासन सचिव, कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर)
उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर–302 005

क्रमांक एफ 25(185)/आ.उ./आयो./सु.पत्रा/2017–18 दिनांक 26-07-2019

प्रबन्ध निदेशक,
उद्यम प्रोत्साहन संस्थान,
उद्योग भवन, जयपुर।

विषय : राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय मेलों एवं हाट संचालन बाबत।

प्रसंग : आयोजना अनुभाग का समसंख्यक पत्र दिनांक 26.04.2019

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र द्वारा 11 बिन्दुओं पर एक सप्ताह की अवधि के अन्दर सूचना चाही गई थी परन्तु आपके द्वारा उक्त सूचना आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं की गई है जबकि स्मरण पत्र दिनांक 17.05.2019 जारी किया जा चुका है। यह पारदर्शिता की दृष्टि से उचित नहीं है। कृपया वांछित सूचना तत्काल आयोजना अनुभाग को प्रेषित करें, साथ ही संस्थान के आय–व्यय की सूचना निम्न प्रारूप में तैयार कर प्रेषित करें:–

Receipt					Expenditure		
Year	Aid	Income	Parking fund	Others	Mela/exhibitions	Maintenance of Rajasthan Haat	Others

इस सम्बन्ध में आयुक्त महोदय द्वारा भी अपने पत्रांक दिनांक 26/07/2019 के जरिये सम्बंधित ब्यौरे हेतु पत्र प्रेक्षित किया गया मगर संस्थान के भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा इसका भी कोई जवाब नहीं दिया गया|

आयुक्त, उद्योग

अपने चहेते CA से पांच सालों की एक साथ फर्जी ऑडिट रिपोर्ट बनाने की लिए निकाला टेंडर

ना केवल संस्थान के पदाधिकारियों द्वारा राज्यादेशों की अवहेलना कर राजस्व को नुकसान पहुचाया गया ,बल्कि संस्थान द्वारा RTPP Act के प्रावधानों और नियमों का उल्लंघन कर अपने चहेतों को टेंडर देकर,बजट राशि का दुरूपयोग किया गया जिसके लिए अपने ख़ास चार्टेड एकाउंट्स से पांच सालों की एक साथ फर्जी ऑडिट रिपोर्ट भी तैयार करवाई गयी|जिसके लिए बाकायदा टेंडर भी निकाला गया|

एफ 1(117)यूपीएस/इण्ड0/सीए/2016–17 DATE- 30.9.19

J.M. VYAS & CO.,
LOTUS VILLA,
C-19 LAL KOTHI SCHEME,
JAIPUR.

विषय :–उद्यम प्रोत्साहन संस्थान के खातों की वित्तीय वर्ष 2015–16, 2016–17, 2017–18, 2018–19 एवं 2019–20 की अंकेक्षण करवाने हेतु।
प्रसंग : आप द्वारा प्रस्तुत कोटेशन दिनांक 26.9.2019 के कम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत राजस्थान लोक उपापन नियम–2013 के तहत उद्यम प्रोत्साहन संस्थान के खातों की वित्तीय वर्ष 2015–16, 2016–17, 2017–18, 2018–19 एवं 2019–20 की अंकेक्षण करवाने हेतु जारी निविदा सूचना दिनांक 25.9.2019 के कम में आप द्वारा प्रस्तुत संदर्भित कोटेशन में अंकित दरें न्यूनतम पाये जाने पर उपापन समिति ने आपकी फर्म से अंकेक्षण का कार्य कराये जाने का अनुमोदन कर दिया हैं।

अतः आप उपापन समिति के निर्णय अनुसार आप उद्यम प्रोत्साहन संस्थान के उक्त वर्षो के खातों का अंकेक्षण कर बिल तीन प्रतियों में प्रस्तुत करें।

भवदीय,

September 30

(संजीव सक्सेना)
प्रबन्ध निदेशक,
उद्यम प्रोत्साहन संस्था

कार्यालय आयुक्त उद्योग जयपुर
उद्यम प्रोत्साहन संस्थान
उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर

प्रमाणित किया गया
अतिरिक्त निदेशक
उद्यम प्रोत्साहन संस्थान

CA फर्म को पांच साल की ऑडिट एक बार में ही करने का काम सौपा गया

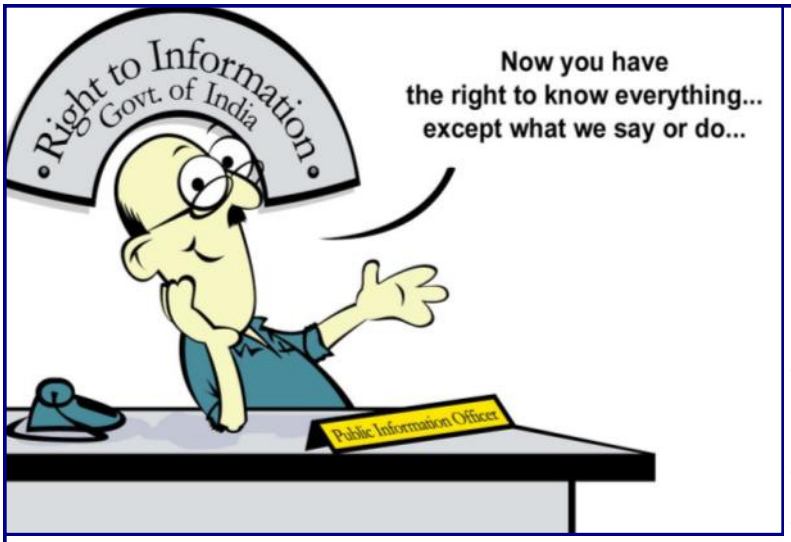

चोरो की सीनाजोरी देखिये;

सुचना आवेदन के जवाब में कहते है कि चाही गयी सूचनाएं "LARGER PUBLIC INTEREST" से सम्बंधित नहीं,अतः नहीं दी जा सकती|

हमारे द्वारा उद्यम प्रोत्साहन संस्थान के लोक सुचना अधिकारी को एक साल पहले प्रस्तुत किये 8 सुचना आवेदन

हमारे द्वारा उद्यम प्रोत्साहन संस्थान द्वारा जारी टेंडरों,हिसाब -किताब,बैठकों से सम्बंधित 8 सुचना आवेदन संस्थान के लोक सुचना अधिकारी को एक साल पहले दिनांक 11/08/2019 को प्रस्तुत किये थे,जिसकी सुचना तय 30 दिन में नहीं दी गयी|इसके बाद कई पत्राचार,अपीलें की गयी परन्तु संस्थान की तरफ से कोई जवाब नहीं आया,सुचना मांगने के एक साल बाद दिनांक 30/09/2020 को महज 4 सुचना आवेदनों के सम्बन्ध में कुछ कागज़ देकर सुचना के नाम पर खानापूर्ति कर दी गयी|

एक सुचना आवेदन में हमारे द्वारा संस्थान की स्थापना,बैठकों,बैंक खातों आदि से सम्बंधित निम्न सूचनाएं चाही गयी थी आपको बताते है कि इनके बारे में जिम्मेदार क्या कहते है:-

1. *संस्थान के वर्तमान सदस्यों पदाधिकारियों के नाम,पदनाम बताने का श्रम करें|*
2. *वर्तमान में उद्योग विभाग के जो भी अधिकारी एवं कर्मचारी उद्यम प्रोत्साहन संस्थान से जुड़े हुए है,वे कब से,किस-किस रूप से संस्थान से जुड़े हुए है या इसके लिए कार्य कर रहे है|सम्बंधित दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपि भी उपलब्ध करवाने का श्रम करें|*
3. *संस्थान की गवर्नमेंट बॉडी की 2015 से आज दिनांक तक कितनी बैठकों का आयोजन किया गया है,समस्त बैठकों/मीटिंगों के मिनिट्स की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करवाने का श्रम करें|*
4. *संस्थान के विगत पांच सालों क्रमशः 2015 से आज दिनांक तक के रोकड़ बही एवं बैंक खातों की प्रमाणित प्रतिलिपियाँ उपलब्ध करवाने का श्रम करें|*
5. *संस्थान की विगत पांच सालों क्रमशः 2015 से आज दिनांक तक की ऑडिट रिपोर्ट की प्रमाणित प्रतिलिपियाँ उपलब्ध करवाने का श्रम करें|*
6. *संस्थान की विगत पांच सालों क्रमशः 2015 से आज दिनांक तक ऑडिट करने वाले चार्टेड अकाउंटेंट(CA/CS) का नाम,पता व सम्पर्कसूत्र बताने का श्रम करें|*
7. *संस्थान के कार्यकरण में अनियमिताओं/भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में राज्य सरकार उच्चाधिकारियों से प्राप्त आदेशों/निर्देशों/ परिपत्रों की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करवाने का श्रम करें|*
8. *संस्थान के कार्यकरण में अनियमिताओं/भ्रष्टाचार के सम्बन्ध प्राप्त शिकायतों/परिवादों की जानकारी मय सम्बंधित दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपि के उपलब्ध करवाने का श्रम करें|*

उद्यम प्रोत्साहन संस्थान
UDHYAM PROTSAHAN SANSTHAN

कार्यालय आयुक्त उद्योग, राजस्थान
OFFICE OF THE COMMISSIONER INDUSTRIES, RAJASTHAN

उद्योग भवन, तिलक मार्ग,
जयपुर-302005
फोन : 2227727-29, 2227630-34 (पी.बी.एक्स.)
फैक्स : 0141-227516

Udyog Bhawan, Tilak Marg,
JAIPUR - 302005
Ph. (PBX): 2227727-29, 2227630-34
Fax : 0141-2227516

सन्दर्भ/Ref. FIL/UPS/IND/RTI/2005/2019-20/272

दिनांक/Date 30/9/2020

श्री ज्ञानेश कुमार
C/o-S-1, सेकण्ड फ्लोर,
झारखण्ड अपार्टमेंट, सगतसिंह मोड़,
जनरल सगतसिंह मार्ग, खातीपुरा,
पिन–302012– जयपुर।
मोबाईल नम्बर–98283–46151.

विषय– सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आप द्वारा प्रस्तुत आवेदन जो कि दिनांक– 04.08.2020 को प्राप्त बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत चाही गई बिन्दूवार सूचना निम्नानुसार है:–

बिन्दु संख्या: 1 :– उद्यम प्रोत्साहन संस्थान के आयुक्त, उद्योग अध्यक्ष हैं तथा प्रावन्ध निदेशक का चार्ज अतिरिक्त निदेशक, उद्योग को तथा संस्थान में 2 अधिशाषी निदेशक हैं जो कि संयुक्त निदेशक स्तर के हैं। इसके अतिरिक्त संस्थान के मेमोरेण्डम ऑफ आर्टिकल की प्रति संलग्न है।

बिन्दु संख्या–2:– आप द्वारा चाही गई सूचना प्रश्नवाचक है, साथ ही जिस प्रकार सूचना चाही गई है, उस प्रकार से उद्यम प्रोत्साहन संस्थान में कोई सूचना संधारित नहीं है।

बिन्दु संख्या–3 :– संस्थान की 2015 से आज तक आयोजित बैठकों की सूचना पृथक से संधारित नहीं है। यदि आपको कार्यवाही विवरणों की सूचना की आवश्यकता है तो कार्यालय समय में सम्बन्धित पत्रावलियों का अवलोकन कर प्राप्त कर सकते हैं।

बिन्दु संख्या–4 :– आप द्वारा वर्ष 2015 से संस्थान की रोकड बही एवं बैंक खातों की प्रमाणित प्रति चाही गई है। उक्त सम्बन्ध में लेख है कि उकत सूचना लोक हित अथवा जिसमें "लार्जर पब्लिक इन्टरेस्ट" नहीं होने के कारण देय नहीं है।

बिन्दु संख्या–5 :– आप द्वारा 2015 से अब तक ऑडिट रिपोर्ट की प्रतियॉ मांगी गई है परन्तु इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि संस्थान की ऑडिट सी.ए. के अलावा महालेखाकार, निरीक्षण विभाग तथा भारत सरकार के द्वारा भी की जाती है जिसकी विभिन्न पत्रावली संस्थान में उपलवध है, विभिन्न मामलों से सम्बन्धित विभिन्न पत्रावली संस्थान में संधारित है। अतः सूचना स्पष्ट नहीं होने एवं "लार्जर पब्लिक इन्टरेस्ट" में देय नहीं होने के कारण देय नहीं है।

बिन्दु संख्या–6 :– वर्ष 2015 से अब तक मैसर्स जे.एम. व्यास एण्ड कम्पनी,जयपुर सी.ए द्वारा ऑडिट की जा रही है।

बिन्दु संख्या–7 :– उक्त बिन्दु में उच्च अधिकारी से प्राप्त आदेश/निर्देश की प्रति चाही गई है परन्तु आपको किस प्रकार एवं कौनसे आदेश की प्रति की आवश्यकता है? कृपया स्पष्ट करें।

बिन्दु संख्या–8 :– संस्थान में प्राप्त शिकायतो/परिवादों की मय सम्बन्धित दस्तावेजों की प्रतियॉ चाही गई है परन्तु सूचना का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है। अतः सूचना उपलब्ध कराया जाना सम्भव नहीं है।

यहॉ यह उल्लेखनीय है कि सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत सूचना की व्याख्या करना, प्रश्नों का उत्तर देना, सूचना संधारित करके दिया जाना सम्भव नहीं है। लोक सूचना अधिकारी द्वारा वही सूचना उपल्बध कराई जा सकती है जोकि उसके पास उपल्बध है अथवा जो उसके पहुंच में है। अतः सूचनार्थ प्रेषित है।

अधिशाषी निदेशक,
उद्यम प्रोत्साहन संस्थान,
जयपुर

सुचना आवेदन के सम्बन्ध में संस्थान का जवाब

सुचना के अधिकार का गला घोंटते लोक सुचना अधिकारी श्री एस.एस. शाह,यदि इन्हें मेरे सुचना आवेदन के क्रम में ऐसा ही जवाब देना था तो एक साल इन्तजार क्यों किया?शायद इन्हें अपना समय काटना था|

इस मामले में हमारी शिकायत पर मंत्री महोदय ने बैठाई विशेष जांच

हमारे द्वारा इस मामले को माननीय मंत्री महोदय के संज्ञान में लाया गया जिसके चलते आयुक्त स्तर पर विशेष जांच दल का गठन किया गया,परन्तु संस्थान के भ्रष्ट अधिकारियों के प्रभाव के चलते इस जांच दल की जांच को भी कुंद कर दिया गया|जांच दल द्वारा संस्थान से वांछित दस्तावेज नहीं मांगकर उल्टा हमसे ही जवाब-तलब कर वांछित दस्तावेज मांगे जाते रहे|

स्पीड पोस्ट

राजस्थान सरकार
कार्यालय आयुक्त उद्योग एवं
शासन सचिव, कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर)
उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर — 302005

क्रमांकः एफ.5( )आउ/यूपीएस/जांच/216 दिनांक : 25.06.2020

श्री ज्ञानेश कुमार
चीफ एडिटर,
जवाब दो सरकार,
एस-1, सैकण्ड फ्लोर, झारखंड अपार्टमेंट,
सगत सिंह मोड, जनरल सगत सिंह मार्ग,
वैशाली नगर, जयपुर।

महोदय,

विषय : उद्यम प्रोत्साहन संस्थान द्वारा आयोजित किए जाने वाले राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय मेलों एवं जयपुर हाट के आयोजनों एवं रख-रखाव व अन्य मदों की आय-व्यय में होने वाली वित्तीय अनियमितताओं घोटालों और भ्रष्टाचार की जांच बाबत।

प्रसंग : आपका पत्रांक जेडीएस/पीआईएल/2020/50 दि.18.03.2020

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रांसगिक पत्र के द्वारा माननीय मंत्री महोदय, उद्योग विभाग, राजस्थान सरकार को प्रेषित शिकायती पत्र का संदर्भ लेवें। आप द्वारा की गई उक्त शिकायत के संबंध में प्रमाणित दस्तावेजी साक्ष्य इस कार्यालय को उपलब्ध करावें ताकि जांच कार्य में जांच दल को सहयोग मिल सके।

विभाग द्वारा हमसे मांगे जा रहे है दस्तावेज,क्या विभाग ने ऐसा ही पत्र भ्रष्ट अधिकारियों को भी लिखा है?

भवदीय,
25/6/20
प्रभारी अधिकारी जांच दल
एवं संयुक्त निदेशक उद्योग

राजस्थान सरकार
कार्यालय आयुक्त उद्योग
उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर– 302005

क्रमांक : एफ.( )आयु.उ./लेखा/यूपीएस/571 दिनांक : 24.07.2020

श्री ज्ञानेश कुमार
चीफ एडिटर,
जवाब दो सरकार
एस 1, सैकिण्ड फ्लोर, झारखण्ड अपार्टमेंट
संगत सिंह मोड़, जनरल संगत सिंह मार्ग,
वैशाली नगर, जयपुर

विषय : उद्यम प्रोत्साहन संस्थान द्वारा आयोजित किये जाने वाले राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय मेलों एवं जयपुर हाट के आयोजनों व रख रखाव तथा अन्य मदों की आय–व्यय में होने वाली वित्तीय अनियमितताओं, घोटालों व भ्रष्टाचार की जाँच बाबत्।

प्रसंग : इस कार्यालय का पत्रांक : एफ 5 ( ) आ.उ./यूपीएस/जांच/216 दिनांक 25.06.2020

महोदय,

उपर्युक्त विषयांतर्गत प्रासंगिक पत्र के द्वारा उद्यम प्रोत्साहन संस्थान के संबंध में आपके पत्र दिनांक 18.03.2020 के द्वारा माननीय मंत्री महोदय, उद्योग विभाग, राज. जयपुर को प्रेषित शिकायत से संबंधित प्रमाणित दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध कराने लिखा गया था, परंतु आदिनांक तक आपके द्वारा कोई साक्ष्य जांच दल को उपलब्ध नहीं कराया गया है।

अतः, आपसे पुनः लेख है कि आप द्वारा की गयी उक्त शिकायत के संबंध में प्रमाणित दस्तावेजी साक्ष्यों के साथ दिनांक 06.08.2020 को जांच समिति के समक्ष, कमरा नं. 205, द्वितीय तल, कार्यालय आयुक्त उद्योग पर, सुनवाई हेतु उपस्थित होने का श्रम करें ताकि जांच कार्य में सहयोग मिल सके।

24/7/20
प्रभारी अधिकारी, जाँच दल

क्रमांक : एफ.( )आयु.उ./लेखा/यूपीएस/ दिनांक :
प्रतिलिपि : निजी सहायक, श्रीमान आयुक्त, उद्योग विभाग को सूचनार्थ प्रेषित है।

प्रभारी अधिकारी, जाँच दल

ई-मेल indrajfo@rajasthan.gov.in
31, 32, 33, 34, Ph.No.0141-2227127

विभाग द्वारा हमसे मांगे जा रहे है दस्तावेज,अपने विभाग के अधिकारी के पत्र को नहीं मानते साक्ष्य|

जवाब मांगते सवाल?

1. सम्बंधित लोक सुचना अधिकारी आखिर क्यूँ नहीं बता रहे संस्थान के वर्तमान पदाधिकारियों के नाम?
2. आखिर क्यूँ नहीं दी जा रही,संस्थान की आज दिनांक तक हुई बैठको/मीटिंग्स के मिनिट्स की कॉपी?
3. आखिर क्यूँ व्यापक जन हित का बहाना बना कर नहीं दे रहे 2015 से आज दिन तक के रोकड़,बही एवं बैंक खातों की प्रमाणित प्रतिलिपि?
4. आखिर क्यूँ व्यापक जन हित का बहाना बना कर नहीं दे रहे 2015 से आज दिन तक की ऑडिट रिपोर्ट?
5. आखिर क्यूँ नहीं दे रहे अनियमिताओं/भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में राज्य सरकार उच्चाधिकारियों से प्राप्त आदेशों/निर्देशों/परिपत्रों की प्रमाणित प्रतिलिपि?
6. हमारी शिकायत पर बैठाई गयी जांच दल की रिपोर्ट का क्या हुआ? आखिर कहाँ गयी यह रिपोर्ट?क्या भ्रष्ट अधिकारियों से भी मांगे गए दस्तावेज?
7. चौकीदार,हाट बाजार,आदि से सम्बंधित चार टेंडरों की सुचना क्यूँ छुपा रहा है संस्थान?
8. वर्ष 2008-09 से 2017-18 तक राष्ट्रीय एवं अंतराष्ट्रीय मेलों के आयोजनों हेतु 6.40 करोड़ रूपये एवं 2009-10 से वर्ष 2016-17 तक जयपुर हाट के संधारण हेतु 1.40 करोड़ की राशि कहाँ खर्च की गयी?
9. अतिरिक्त निदेशक उद्योग एवं प्रभारी,सीआरडी प्रकोष्ठ के पत्रांक दिनांक 26/04/2019 के अनुसार मांगी गयी 11 बिन्दुओं की सूचनाएं आखिर आज दिनांक तक क्यूँ नहीं दी गयी?

यह नया भारत है जो जवाब भी मांगेगा और हिसाब भी

जब भी किसी जागरूक नागरिक द्वारा किसी भ्रष्टाचार का खुलासा करने के लिए पारदर्शिता और जवाबदेही से सम्बंधित सूचनाएं मांगी जाती है तो ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों का बौखलाना स्वभाविक होता है|पहले तो सुचना देने में कई बहाने बनाते है और जब देनी पड़ती है तो आधे अधूरे दस्तावेज देकर इतिश्री कर ली जाती है|ऐसे भ्रष्ट अधिकारी वह कीड़े होते है जिनका जिक्र आपने एक फ़िल्मी डायलोग के रूप में सुना होगा|परन्तु अब ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को समझना होगा की आज के भारत में गोपनीयता अपवाद है और जवाबदेही उनके दैनिक कार्यकरण का जरुरी हिस्सा,उन्हें मानना होगा कि वह केवल सरकारी दफ्तरों के केयरटेकर है ना की मालिक|यहाँ पर उनके बाप का राज नहीं है जहाँ पर वह अपनी मनमर्जी चलाये और किसी नागरिक को जवाब देने या हिसाब देने में अपनी तौहीन समझे|ऐसे अधिकारियों से गुजारिश है कि यदि उनमे अधिकारी होने की ज्यादा ही अकड़ हो तो अपने घर जाकर बैठे,उनकी जगह कोई दूसरा अधिकारी आएगा,हमारे यहाँ ईमानदार अधिकारियों की कमी नहीं है|सुचना के अधिकार 2005 की धारा 4 (1) (B) में स्पष्ट बताया गया है कि कोई भी प्राधिकरण इंटरनेट आदि माध्यमों से इतनी अधिक सूचनाएं उपलब्ध करवाए की आम नागरिक को सुचना मांगने की जरुरत ही नहीं पड़े|यदि ऐसे भ्रष्ट अधिकारी यह समझते है कि उनके द्वारा विभागीय जांच को मैनेज कर लिया जायेगा तो यह उनकी गलत फहमी है|यह कोई आखिरी दरवाजा नहीं है जो न्याय के लिए हमेशा के लिए बंद हो गया हो|अभी कई मुकाम बाकी है जहाँ से न्याय की उम्मीद की जा सकती है|ईमानदार अधिकारी हमारा साथ दे,हमारी लडाई जारी रहेगी.....